

अनुसूची 7 [विनियम 6(2) देखें]

भारतीय स्वामित्वधारी संस्था / फर्म अथवा कंपनी (रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित) द्वारा अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति(PIOs) से अप्रत्यावर्तनीय आधार पर जमाराशियां स्वीकार करना

भारत में स्वामित्वधारी कोई संस्था या फर्म और भारत में निगमित कोई कंपनी (रिज़र्व बैंक में पंजीकृत किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित) अनिवासी भारतीयों अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों(PIOs) से अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं:

- i) किसी कंपनी के मामले में, ये जमाराशियां निजी व्यवस्था या सार्वजनिक जमा योजना के अंतर्गत स्वीकार की जा सकती हैं।
- ii) यदि जमाराशियां स्वीकार करनेवाली कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तो वह रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो और उसे इस प्रकार की कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथानिर्धारित अपेक्षित क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हो।
- iii) जमाराशियों की परिवर्ततावधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- iv) यदि जमाराशियां प्राप्त करने वाली कंपनी कोई गैर-बैंकिंग कंपनी हो, तो इन जमाराशियों पर देय ब्याज की दर ऐसी कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों / निदेशों के अनुरूप होगी। अन्य मामलों में जमाराशियों पर देय ब्याज दर कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियमावली, 2014 के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित उच्चतम ब्याज सीमा से अधिक नहीं होगी।
- v) जमाराशियां केवल एनआरओ खाते को नामे कर के प्राप्त की जाएगी, बशर्ते कि जमाराशियाँ आवक विप्रेषण अथवा एनआरई / एफसीएनआर (बी) खाते से एनआरओ खाते में अंतरण के स्वरूप की न हो।
- vi) जमाराशियां स्वीकार करने वाली स्वामित्वधारी संस्था / फर्म / कंपनी भारत सरकार या किसी अन्य सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधि, नियमों, विनियमों या आदेशों के प्रावधानों, जो जमाराशियां स्वीकार करने के संबंध में उस पर लागू हों, का पालन करेंगी।
- vii) इस प्रकार वसूली गयी जमाराशियों का उपयोग कोई भी कंपनी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं) पुनः उधार देने के लिए अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों या स्थावर संपदा कारोबार के लिए अथवा इस प्रकार का कार्य करने वाली या ऐसे कार्य करने का प्रस्ताव करने वाली किसी अन्य संस्था, फर्म या कंपनी में निवेश के लिए नहीं करेगी।
- viii) स्वीकार की गयी जमाराशियों के लिए भारत से बाहर प्रत्यावर्तन की अनुमति नहीं होगी।

फुट नोट: मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र – असाधारण – भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 01 अप्रैल 2016-जी.एस.आर.सं. 389 (ई) के तहत प्रकाशित की गयी थी।

[जी.एस.आर.सं. 1093 \(ई\) दिनांक 09.11.2018](#)

[जी.एस.आर.सं. 498 \(ई\) दिनांक 16.07.2019](#)

[सं.फेमा 5\(आर\)/\(3\)/2019-आरबी, दिनांक 13 नवम्बर 2019](#)

[सं.फेमा 5\(आर\)/\(4\)/2014-आरबी, दिनांक 06 मई 2014](#)